न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

गंगास्वरूप बनाम बृजमोहन

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/77/2024

15.03.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बरान 83 रकबा 1.25 है0 व 87 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम भाखरी तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण को दादा व माता से विरासत में प्राप्त हुई है उक्त विवादित आराजी के विधिवत रूप से तकसीम होने तक मिन प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजीयात से जबरन बेदखल नही करे और ना ही आराजी विवादित को बिना विभाजन किए विक्रय करे। और मिन प्रार्थी के मना करने पर ही आराजीयात विवादित का अन्य व्यक्तियों को विक्रय करे। तथा अप्रार्थी संख्या 4 को पाबंद किया जावे कि वो हाल आराजी खसरा नम्बर 83 पर बिना विभाजन कब्जा प्राप्त नही करे। अन्त में विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी मे हम प्रार्थीण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपस में सगे भाई बहन है और आराजीयात विवादित में हम पक्षगण का 1/4–1/4 हिस्सा है। एवं विवादित आराजी के बिना विधिवत रूप से तकसीम हुए अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 से आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 1.25 ऐयर मे से 1/5 हिस्सा क्रय किया है जबकि विधि अनुसार यदी को स्टेजर पर्सन किसी सम्मिलित की आराजीयात का क्रय करता है तो उसे कब्जा प्राप्त करने से पूर्व उसका विभाजन करवा कर अपने हिस्से का पृथक से विभाजन करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि *विवादित* आराजी हाल खसरा नम्बरान 83 रकबा 1.25 है0 व 87 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम भाखरी तहसील राजगढ जिला अलवर मे *राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखें।*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
26/09/25 पत्रावली पेश। कृ० उप०। वास्ते जवाब 1, 2 व तलब बी 34 दिनांक 28/10/25 को पेशी SDO	
28/10/25 पत्रावली पेश। पूर्व मुलवाद 09 R5 के तहत खारिज किया जा चुका है। खारिज [illegible] पत्र को कार्यवाही की [illegible] पर कोई जाना 09 R5 के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली बाद पूर्ति नियम दाखिल दफ्तर हो। [illegible] SDO	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1/79/2024
	26/9/25 पत्रावली इकजाई तारीख पे पेश। वकील वादी उपस्थित वास्ते जवाब 1,2 व तलबी 3,4 दिनांक 28/10/25 को पेश हो। SDO
	28/10/25 पत्रावली पेश। वकील वादी उप. पत्रावली तलबी में विचाराधीन है। ... प्रस्तुत नहीं की गयी अतः पत्रावली 09RS में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल रिकार्ड भेजी जावे। SDO